रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2002/श्रावण 3, 1924
No. 346] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2002/SRAVANA 3, 1924

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन एवं डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जुलाई, 2002

सा.का.नि. 522(अ).—पशुधन आयात संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का अधिनियम 28) द्वारा यथासंशोधित पशुधन आयात अधिनियम, 1898 (1898 का अधिनियम 2) के खंड 3, उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कृषि मंत्रालय में दिनांक 11 अगस्त, 1999 की भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 50-22/77-एल डी टी (ए क्यू)/पी टी के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से भारत में पशुओं की अश्व प्रजाति के आयात को अनुमति प्रदान करती है।

2. अश्वों के आयात को निम्नानुसार अनुसूची में निहित प्रक्रिया के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

भारत में अश्वों के आयात के लिए निर्धारित शर्तें

1. पात्रता

1.1 अश्व ऐसे देश से आएं:

(क) जो अफ्रीकी अश्व रोग से मुक्त हों।

(ख) जहां से विगत तीन वर्ष के दौरान कन्टेजियस इक्वाइन मेट्राइटिस (सी ई एम) की सूचना नहीं प्राप्त नहीं हुई। तथापि उन सी ई एम देशों से जहां सात वर्ष तक के नर तथा पांच वर्ष तक की मादाओं का सम्मिलन नहीं करवाया गया है, इसकी अनुमति है।

1.2 सम्पूर्ण प्रजनक नस्ल के घोड़ों के मामले में आयात की अनुमति केवल प्रजनन प्रयोजन के लिए दी जाएगी।

1.3 निर्यात से पूर्व अश्वों को आवश्यक परीक्षण के लिए निर्यात पूर्व संगरोध से होकर गुजरना अपेक्षित है।

1.4 अश्वों का आयात केवल दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई तथा चेन्नई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किसी अन्य हवाई अड्डे के जरिए किया जाएगा तथा आयातक द्वारा संगरोध अधिकारियों को खेप पहुंचने के कम से कम पन्द्रह दिनों पूर्व लिखित में सूचित किया जाएगा।

1.5 प्रस्थान से पूर्व तीन सौ दिन से अधिक की अवधि से गर्भस्थ पशुओं का आयात बिल्कुल नहीं किया जाएगा।

2. पहचान

अश्वों के साथ एक वैध पासपोर्ट होना चाहिए; **अथवा**

पासपोर्ट जारी न करने वाले देशों में उत्पन्न घोड़े के मामले में निर्यात निर्यातक देश के अधिकारिक पशुचिकित्सक द्वारा विधिवत प्रमाणित पहचान प्रमाण पत्र के साथ संपूर्ण हिस्ट्रीशीट पत्र के साथ होना चाहिए।

3. पशुचिकित्सा प्रमाण पत्र

3.1 अश्वों के साथ निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार निर्यातक देश के अधिकारिक पशुचिकित्सक द्वारा जारी एक वैध स्वास्थ्य प्रमाण पत्र होना चाहिए:

भारत में अश्वों के आयात के लिए पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

निर्यातक देश:.....

मंत्रालय/विभाग.....

प्रान्त अथवा जिला इत्यादि.....

1. पशु की पहचान

संख्या	नस्ल	लिंग	आयु

2. पशु का मूल

निर्यातक का नाम तथा पता:

.....

पशु के मूल का स्थान:.....

.....

3. पशु का गंतव्य स्थान

गंतव्य देश का नामः.....

प्राप्तकर्ता का नाम तथा पताः.....

.....

यातायात के साधनों की प्रकृति और पहचान.....

.....

4. स्वच्छता सूचना

मैं, अधिकारिक पशुचिकित्सक के रूप में प्रमाणित करता हूं कि उक्त उल्लिखित पशुओं की इस दिन जांच की गई थीः

(क) इनमें जहाज पर चढ़ाने के दिन तक किसी संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोग के कोई क्लीनिकल चिह्न अथवा लक्षण प्रतीत नहीं होते।

(ख) ये निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं :-

1. देश अफ्रीकी अश्व रोग से मुक्त है।
2. निर्यात से ठीक पहले एक सौ अस्सी दिन के दौरान निर्यात किए जाने वाले अश्व ऐसे किसी देश में नहीं गए हैं जहां निर्यात के तत्काल पहले दो वर्षों में अफ्रीकी अश्व रोग हुआ हो।
3. देश में विगत तीन वर्षों के दौरान कंटेजियस इक्वाइन मेट्राइटिस (सी ई एम) की सूचना नहीं मिली है तथा पशु की उत्पत्ति/पालन पोषण/भ्रमण विगत दो वर्षों के दौरान किसी भी सी एम संक्रमित देश में नहीं हुआ है; अथवा

देश ने सी ई एम की सूचना दी है किन्तु निर्यात किए जाने वाले पशु सात वर्ष से कम (नर के मामले में)/पांच वर्ष से कम (मादा के मामले में) की आयु के हैं जिनये संभोग कभी नहीं करवाया गया है तथा अश्व निर्यात के तत्काल पूर्व बारह माह के दौरान प्रजनन स्टाक के सम्पर्क में नहीं है तथा अश्व के प्रीप्यूस/यूरेथरा/वेजाइना/सर्विक्स, जो भी स्थिति हो, से तीस दिवसीय निर्यात पूर्व संगरोध के दौरान सात दिन के अंतराल पर तीन लगातार अवसरों पर स्टेंडर्ड कल्चर पद्धति से जांच करके पैथोजेनिक माइक्रो आर्गेनिज्म, विशेषकर टाइलोरेला इक्वीजेनिटेलिस के लिए नेगेटिव पाए गए।

4. अश्व जहाज पर चढ़ाने से ठीक तीन महीने पहले तक के लिए एक स्थापना में रख जाते हैं जहां एपीजूटीक लिम्फेंजाइटिस, अल्सरेटिव लिम्फेंजाइटिस, ट्राइपेनोसोमोसिस, डाउरिन; इक्वाइन पाइरोप्लासमोसिस, इक्वाइन राइनोन्यूमोनिटिस, इक्वाइन एन्सीफैलोमाइलेइटिस, इक्वाइन एन्फलून्जा, इक्वाइन इंफेक्सियस एनीमिया, पोटोमैक हार्स फीवर, वेस्ट नाइल वायरस इनफेक्शन तथा वेसीकुलर स्टोमेटाइटिस सहित किसी भी संक्रामक अथवा संसर्गजन्य रोग की सूचना नहीं प्राप्त हुई है तथा ऐसी स्थापना के आस पास ऐसी बीमारी की सूचना नहीं है।
5. निर्यात से पहले पशुओं को इक्वाइन इन्फ्लूएंजा (मृत) बाइवेलेंट वैक्सीन के टीके लगाए जाते हैं तथा अंतिम टीकाकरण निर्यात के तीस दिनों के भीतर किन्तु चौदह दिन से पहले नहीं होना चाहिए।

6. निर्यात किए जा रहे पशु अनुमोदित सरकारी संगरोध केन्द्र तथा नकारात्मक परिणाम होने पर निम्नलिखित परीक्षणों के अधीन अकेले में रखे जाएंगे:-

रोग	नैदानिक जांच	
ग्लैंडर्स	मैलीन/काम्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट (सी एफ टी)	जहाज पर चढ़ाने से पहले पन्द्रह दिन के दौरान
डाउरिन	कांप्लीमेंट फिक्सेसन टेस्ट (सी एफ टी)	जहाज पर चढ़ाने से पूर्व पन्द्रह दिन के दौरान
इक्वाइन इन्फेक्सस एनीमिया	कार्गिस (इम्यूनोडिफ्यूजन टेस्ट)	जहाज पर चढ़ाने से पहले तीस दिन के दौरान
इन्फेक्सस इक्वाइन अबोर्शन (सालमोनीला एबोर्टस इक्वी)	सीरम अग्लूटिनेशन टेस्ट (एक/तीन हजार से अधिक टाइटर नहीं)	जहाज पर चढ़ाने से पहले पन्द्रह दिन के दौरान
इक्वाइन वायरल आरटराइटिस (ई वी ए)	वायरस न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट	जहाज पर चढ़ाने से पहले 28 दिन के दौरान नकारात्मक परिणाम के साथ कम से कम चौदह दिन के अंतराल पर दो बार
वेसीकुलर स्टोमेटाईटिस	कांप्लीमेंट फिक्सेसन टेस्ट (सी एफ टी)/इन्जाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरबेन्ट एसे (एलीसा)	निर्यात पूर्व संगरोध की शुरूआत के बाद कम से कम 21 दिन
कन्टेजियस इक्वाइन मेट्राइटिस (सी ई एम)	माइक्रो आरगेनिज्म	नकारात्मक परिणाम के साथ निर्यात पूर्व संगरोध के दौरान साप्ताहिक अंतराल पर तीन लगातार जांच
इक्वाइन पाइरोप्लाजमोसिस (बबेसिया इक्वी एंड बबेसिया काबाली)	कांप्लीमेंट फिक्सेसन टेस्ट(सी एफ टी)/ इनडायरेक्ट फ्लूरोसेंट एंटीबाडी टेस्ट (आई एफ ए टी)	जहाज पर चढ़ाने से पहले तीस दिन के दौरान
वेन्जुएलन इक्वाइन इनसेफैलोमाइटिस	हैमेगुलूटिनेशन इनहिविसन (एच आई)/कांप्लीमेंट फिक्सेसन टेस्ट (सी एफ टी)/प्लेक रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट (पी आर एन टी)	निर्यात पूर्व संगरोध की शुरूआत के बाद चौदह दिन से कम नहीं

टिप्पणी: जिन रोगों के लिए मुक्ति स्थिति प्रमाणित हो चुकी है उनके मामले में कोई जांच आवश्यक नहीं है।

सरकारी मुहर

.....को .....जारी

पशुचिकित्सक का नाम तथा पता.....

.....

हस्ताक्षर

4. आयातोत्तर संगरोधः-

भारत में आयात के बाद पशु कम से कम तीरा दिन तक सरकारी संगरोध केन्द्र में रखे जाएंगे। संगरोध अवधि के दौरान पशु सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले किसी रोग के लिए स्टैंडर्ड कल्चर तथा सीरोलाजिकल जांच के अधीन होंगे। किसी पशु के विदेशी रोग के लिए सकारात्मक (पोजिटिव) पाए जाने की स्थिति में वह आयातक की लागत पर मूल देश को वापस भेजे जाएंगे/संगरोध केन्द्र पर नष्ट कर दिए जाएंगे।

[फा. सं. 50-22/77-एल डी टी(ए क्यू)/पार्ट.]

नीता चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th July, 2002

G.S.R. 522(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 3 of the Livestock Importation Act, 1898 (Act 9 of 1898) as amended by Livestock Importation Amendment Act, 2001 (Act 28 of 2001) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture No. 50-22/77-LDT(AQ)/Pt. Dated the 11th August, 1999, the Central Government hereby allows with immediate effect the import of equine species of animals in to India.

2. Import of the equines shall be allowed as per the procedures laid down in the schedule as under.

SCHEDULE CONDITIONS FOR THE IMPORTATION OF EQUINES IN TO INDIA

1. **ELIGIBILITY:**

1.1. The equine should come from a country:

a. Which is free from African Horse Sickness.

b. Where Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported during the last three years. However, from the CEM infected countries male upto seven years and female upto five years of age which have never been mated are allowed.

1.2 In case of Thoroughbred horses, import will be allowed for **breeding purpose only**.

1.3 Prior to export the equines are required to under go pre-export quarantine for necessary testing.

1.4 The equine shall only be imported through the International airports of Delhi, Kolkata, Mumbai and Chennai or any other airport notified by the Government from time to time and the quarantine officers may be informed by the importer in writing at least fifteen days prior to the arrival of the consignment.

2346GI/02-2

1.5 The animal with more than three hundred days of pregnancy prior to departure is not be imported at all.

2. IDENTIFICATION:

The equine must accompany with a valid passport; **OR**

In case of the horse originate from countries not issuing a passport, the import must be accompanied by complete history sheet with an identification certificate duly authenticated by an official veterinarian of the exporting country.

3. VETERINARY CERTIFICATE

3.1. The equine must accompany a valid health certificate issued by an official veterinarian of the exporting country as per the following format:

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR IMPORT OF EQUINES INTO INDIA

Exporting Country:.....
Ministry /Department of:.....
Province or District, etc.: .....

I. Identification of the animal

Number	Breed	Sex	Age

II Origin of the animal

Name and address of exporter:
.....
Place of origin of the animal: .....
.....

III Destination of the animal

Country of destination: .....
Name and address of consignee: .....
.....
Nature and identification of means of transport: .....
.....

IV Sanitary information

I, the undersigned official veterinarian certify that the animal described above examined on this day:

(a) shows no clinical sign or symptom of infectious or contagious diseases on the day of shipment.

(b) satisfies the following requirements:

1. The country is free from African Horse Sickness.

2. During one hundred and eighty days immediately prior to export, the equine under export has not visited any country where African Horse Sickness occurred in the past two years immediately preceding the export.

3. Contagious Equine Metritis (CEM) has not been reported during last three years in the country and the animal has not originated from / reared in / visited any of the CEM infected countries during the last two years; **OR**

the country has reported CEM but the animal under export is less than seven years (in case of male) / less than five years (in case of female) of age which have never been mated and the equine has not been in contact with breeding stock during the twelve months immediately prior to export and that swabs collected from the prepuce/urethra/vagina/cervix as the case may be of the equine has been found negative for pathogenic micro-organisms, specifically *Taylorella-equigenitalis*, by standard culture methods on three consecutive occasions at seven days interval during the thirty days pre-export quarantine.

4. The equine was kept in an establishment for three months prior to shipment where no infectious or contagious diseases including Epizootic Lymphangitis, Ulcerative Lymphangitis, Trypanosomosis, Dourine, Equine Piroplasmosis, Equine Rhinopneumonitis, Equine Encephalomyelitis, Equine Influenza, Equine Infectious Anaemia, Potomac Horse Fever, West Nile Virus infection and Vesicular Stomatitis was reported and no such diseases reported around such establishment.

5. The animal prior to export has been vaccinated with Equine Influenza (killed) bivalent vaccine, and the last vaccination be within thirty days prior to embarkation but not less than fourteen days.

6. The equine being exported has been kept in isolation in an approved Government quarantine station and subjected to the following tests with negative results:

Disease	Diagnostic Test	
Glanders	Mallein/Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days before shipment.
Dourine	Complement Fixation Test (CFT)	During fifteen days before shipment.
Equine Infectious Anaemia	Coggins (Immunodiffusion Test)	During thirty days before shipment.
Infectious Equine Abortion *(Salmonella abortus equi)*	Serum Agglutination Test (titre not greater than one/three thousand)	During fifteen days before shipment.
Equine Viral Arteritis (EVA)	Virus Neutralisation Test	Two occasions at least fourteen days apart with negative result during twenty eight days prior to shipment.

Vesicular Stomatitis	Complement Fixation Test (CFT)/ Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)	At least twenty one days after the commencement of pre-export quarantine
Contagious Equine Metritis (CEM)	Culture of Micro-organisms	Three consecutive tests at weekly interval during pre-export quarantine period with negative results.
Equine Piroplasmosis *(Babesia equi and Babesia caballi)*	Complement Fixation Test (CFT) / Indirect Fluorescent Antibody Test (IFAT)	During thirty days before shipment.
Venezuelan Equine Encephalomyelitis	Haemagglutination Inhibition (HI) / Complement Fixation Test (CFT) / Plaque Reduction Neutralisation Test (PRNT)	Not less than fourteen days after the commencement of pre-export quarantine.

N.B.: No testing is necessary in respect of such diseases for which freedom status has been certified.

Official stamp:

Issued at.....on .....
Name and address of Veterinarian.....
.....

Signature:

4. Post-Import Quarantine:

After import in to India, the animal shall be kept in quarantine for minimum period of thirty days at the Government Quarantine Station. During the quarantine period, the animal shall be subjected to standard culture and serological examination for any disease as deemed necessary by the Government. In the event of any animal found positive for any exotic disease, the same shall be deported back to the country of origin / destroyed at the quarantine station at the cost of the importer.

[F. No. 50-22/77-LDT (AQ)/Pt.]

NITA CHOWDHURY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 2002